

8-5-20

उभय पक्ष उपस्थित पीडासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।

२
उपर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-5-20

उभय पक्ष उपस्थित पीडासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।

२
उपर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14-8-20

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन वाप तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह पठ किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा आवापे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं प्रार्थी की प्रश्नगत आराजी सयुक्त अविभाजित खातेदारी है प्रार्थना का केवल एक सह खातेदार द्वारा दिया गया है अविभाजित सयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच भूमि पर सभी खातेदार का हिस्सा होता है अतः प्रार्थी के हकदरसे की आराजी स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

४
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा